


:: परिपत्र ::

(उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009 के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली ऑनलाईन रिटर्न के सम्बन्ध में प्रक्रिया)

The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 के अन्तर्गत जिन व्यापारियों द्वारा Entry Tax की विवरणी दाखिल की जानी है, उनकी सुविधा हेतु ऑनलाईन रिटर्न दाखिल किए जाने की सुविधा निम्न प्रकार दी गई है :-


- Step 1-** व्यापारी अपने User Id Password से विभागीय वेबसाइट www.comtaxappl.uk.gov.in पर Login करेगा।
- Step 2-** Login के उपरान्त बाईं ओर उपलब्ध विकल्पों में से Entry Tax के विकल्प का चयन करेगा।
- Step 3-** इसके अन्तर्गत Offline File Download के विकल्प का चयन करते हुए रिटर्न की Excel File अपने कम्प्यूटर पर Download करेगा।
- Step 4-** Download की गई File को Open करने के उपरान्त व्यापारी Form Type, Period of Return, Assessment Year, Date Format व Return Type का चयन करेगा।
- Step 5-** Form Type का चयन करने पर व्यापारी को दो विकल्प (a) For General Dealer (b) For E-Com Dealer दिखाई देंगे। E-Commerce वाले व्यापारी E-Comm Dealer का चयन करेंगे एवं अन्य व्यापारी द्वारा General Dealer के विकल्प का चयन किया जाएगा।
- Step 6-** इन सभी विवरणों को भरने के उपरान्त व्यापारी "Proceed to fill Selected Annexure" पर Click करेगा।
- Step 7-** इसके पश्चात् व्यापारी के समक्ष Form-C (विवरणी) का फार्म खुलेगा, जिसमें व्यापारी अपने सभी विवरण, Annexure सहित भरकर General XML पर Click करते हुए विवरणी की XML file जनरेट करेगा।
- Step 8-** इस प्रकार तैयार XML File को व्यापारी अपने Dealer Login में उपलब्ध Entry Tax Return के अन्तर्गत Upload XML File पर जाकर Upload करेंगे।
- Step 9-** Upload की गई Return के Print का विकल्प व्यापारी के पास उपलब्ध होगा। यदि आवश्यक हो तो वह इसका Print out भी ले सकता है।
- Step 10-** Upload की गई Return को व्यापारी Return History में जाकर देख सकेंगे तथा आवश्यकतानुसार Acknowledgement एवं Return का Print out ले सकेंगे।


(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं० : 2141 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०/प्रव०) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं Web Information Officer को विभागीय वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
- 5- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।


आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।